संख्या–127/VI-1/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति विभाग,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग :

देहरादून : दिनांक 28 जनवरी, 2005

विषयः–राज्य अभिलेखागार, उत्तरांचल, देहरादून के भवन निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–985/सं0नि0उ0/दो–9(2)/2004, दिनांक 01 दिसम्बर, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अभिलेखागार भवन, देहरादून के निर्माण हेतु वित्त विभाग टी0ए0सी0 द्वारा रू0 128.80 लाख के आंगणनों के सापेक्ष संस्तुत धनराशि रू0 112.65 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में नई मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पच्चास लाख मात्र) श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के आधार पर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

7(ए)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2– उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

3– किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भंडार कय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का कय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेडंर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

4– व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया है।

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला और संस्कृति–106–संग्रहालय–03–संग्रहालय भवन से सम्बन्धित निर्माण–00–24–वृहद् निर्माण कार्य नामक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

NIC
1093

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–1082/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 24–01–2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-I/2004, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त विभाग।
4– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
7– परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–1, पेयजल निर्माण, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

(21)